प्रेस नोट　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　दिनांक 27.08.2025

गाजियाबाद यातायात पुलिस का विशेष अभियान – 152 BNSS के अंतर्गत कार्यवाही

पुलिस आयुक्त गाजियाबाद महोदय के निर्देशन में गाजियाबाद यातायात पुलिस द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को अतिक्रमणमुक्त, सुगम एवं सुरक्षित बनाए रखने हेतु लगातार अभियान संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारकों — जैसे सड़क किनारे दुकानदारों, ठेली, खोखा, खोमचा आदि लगाने वालों के विरुद्ध प्रमुख स्थानों जैसे-- लाल कुआँ, राकेश मार्ग, चौधरी मोड़, हापुड़ तिराहा, मेरठ तिराहा, राजनगर एक्सटेंशन, मोहनगर, इंदिरापुरम, महाराजपुर आनंद विहार बॉर्डर, सीमापुरी, तुलसी निकेतन, भोपुरा, लोनी तिराहा, मोदीनगर, डासना एवं मसूरी आदि स्थानों पर 152 BNSS के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 26-08-2025 तक इस विशेष अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा कुल 1576 दुकानदारों/ठेली/खोखा/खोमचा लगाने वालों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उपरोक्त नोटिसों को यातायात पुलिस द्वारा संबंधित थानों के माध्यम से कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया गया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा नोटिस जारी कर जवाब माँगा जायेगा। **जवाब से संतुष्ट न होने की दशा में 223 BNS की उपधारा (क) में बाधा, क्षोभ, क्षति का जोखिम कारित करने की दशा में ₹2500 का जुर्माना या 06 माह तक की सजा या दोनों दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान, एवं उपधारा (ख) में मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट कारित करने की दशा में ₹5000 का जुर्माना एवं 01 वर्ष तक की सजा या दोनों दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।**

यातायात पुलिस गाजियाबाद द्वारा उक्त अभियान निरंतर जारी रहेगा जब तक कि शहर पूर्णतः अतिक्रमणमुक्त न हो जाये।

गाजियाबाद यातायात पुलिस आमजन से अपील करती है कि: -

- सड़क किनारे अवैध रूप से ठेला, खोखा, दुकान आदि लगाकर यातायात व्यवस्था में बाधा न उत्पन्न करें।
- सड़क पर अतिक्रमण न करें, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को रोका जा सके।
- यातायात पुलिस के अभियान में सहयोग कर गाजियाबाद को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात वाला शहर बनाने में अपना योगदान दें।

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा ठगी करने वाले 02 अभियुक्तों को ठगी की गयी 4 जोड़ी बिछिया सफेद धातु, 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु, 01 अदद गले की चैन पीली धातु व कुल 4760/- रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 27.08.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर वांछित चल रहे अभियुक्तगण (1) जावेद पुत्र नूर मौहम्मद नि0 मदीना मस्जिद के पास गली नं0 6 उस्मान कालोनी डासना थाना वेव सिटी जिला गाजियाबाद हाल पता वकील का मकान ट्रासफार्मर वाली गली कटेहरा रोड कस्बा व थाना दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर, उम्र 40 वर्ष व (2) शाहिद पुत्र शब्बीर नि0 ग्राम लालपुर थाना धौलाना जिला हापुड़ उम्र 43 वर्ष को मय चोरी की 04 जोड़ी बिछिया सफेद धातु, 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु, 01 अदद गले की चैन पीली धातु व कुल 4760 रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण जावेद पुत्र नूर मौहम्मद व शाहित पुत्र शब्बीर उपरोक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 14.07.2025 को सुबह के समय हो दोनो व्यक्तियों ने लाल कुंआ सिविल लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति जो अमरोहा जा रहा था को अपनी बातों में लेकर उसके साथ ठगी कर रूपये व जेवर ले लिए थे। हमसे जो सामान बरामद हुआ है वह उसी ठगी का हैं। हम दोनो मिलकर ऐसे ही लोगों के अपनी बातों में लेकर ठगी कर अपने शौक पुरा करते हैं। आज हम फिर किसी अन्य व्यक्ति को ठगी करने के इरादे से यहां आये थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

बरामदगी का विवरण-

- 04 जोड़ी बिछिया सफेद धातु
- 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु
- 01 अदद गले की चैन पीली धातु
- 4760 रूपये मुकदमें से सम्बन्धित, जो ठगे थे।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शाहिद पुत्र शब्बीर-

1. मु0अ0सं0 312/2025 धारा 303(2)/318(4)317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 521/25 धारा 318(2) बी0एन0एस0 थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 620/2016 धारा 395/412 भादवि थाना मसूरी कमि0 गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0 654/2023 धारा 420/379/411 भादवि थाना सिहानीगेट कमि0 गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0 115/2008 धारा 380 भादवि थाना धौलाना जनपद हापुड़।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जावेद पुत्र नूर मौहम्मद-

1. मु0अ0सं0 312/2025 धारा 303(2)/318(4)317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 521/25 धारा 318(2) बी0एन0एस0 थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0- 366/2020 धारा 60/63 आब0 अधि0 थाना सिंभावली जनपद हापुड़।

नाम पता अभियुक्त

(1) जावेद पुत्र नूर मौहम्मद नि0 मदीना मस्जिद के पास गली नं0 6 उस्मान कालोनी डासना थाना बेव सिटी जिला गाजियाबाद हाल पता वकील का मकान ट्रासफार्मर वाली गली कटेहरा रोड कस्बा व थाना दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर, उम्र 40 वर्ष

(2) शाहिद पुत्र शब्बीर नि0 ग्राम लालपुर थाना धौलाना जिला हापुड़ उम्र 43 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार तथा 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

दिनांक 24.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी के पुत्री के ससुरालीजन द्वारा दहेज के कारण वादी की पुत्री की हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-85/105(2)/80 बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 27.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों 1. प्रिन्स उर्फ गब्बर (पति) पुत्र सुखपाल निवासी गली नं0-02 पंचवटी कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 2. सुखपाल (ससुर) पुत्र रुपचन्द्र निवासी गली नं0-02 पंचवटी कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 55 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल आपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान उक्त घटना कारित करना स्वीकार करते हुए बताया कि हम वादी की पुत्री से दहेज की मांग करते थे जिस कारण यह घटना हो गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. प्रिन्स उर्फ गब्बर (पति) पुत्र सुखपाल निवासी गली नं0-02 पंचवटी कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष
2. सुखपाल (ससुर) पुत्र रुपचन्द्र निवासी गली नं0-02 पंचवटी कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 55 वर्ष
3. 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

साईबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 20000/- रू0 की धनराशि वापस करायी गयी।

आज दिनांक 27.08.2025 को साईबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री चिराग सनवाल नि0 प्रताप विहार सै०-11 थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 20000/- रू० वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण

साईबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से दिनांक 08.07.2025 को श्री चिराग सनवाल नि0 प्रताप विहार सै०-11 थाना विजयनगर गाजियाबाद के साथ 20000/- रू० की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 27.08.2025 को

आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना विजयनगर पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना विजयनगर साइबर सेल

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 27.08.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त रंजीत उर्फ हउवा पुत्र मेवाराम निवासी एफ-1117 सुधीर एन्क्लेव रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने दिल्ली से चोरी की थी जिसे आज मैं बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रंजीत उर्फ हउवा पुत्र मेवाराम निवासी एफ-1117 सुधीर एन्क्लेव रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

दिल्ली में उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना ट्रोनिका सिटी चोरी के वाहन बरामदगी के संबंध में 02 अभियोग पंजीकृत हैं। **(कुल अभियोग-03)**। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।